

राज्यसभा में दो सदस्यों की पदावधि समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले दो स्थानों को भरने हेतु राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन

रायपुर, दिनांक 24 मई, 2022 (ज्येष्ठ 3, 1944-शक)

### अधिसूचना

क्रमांक - विधान/रा.स.निर्वाचन/2022(2) - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा में दो स्थानों को भरने के लिए, जिनका कार्यकाल दिनांक 29 जून, 2022 को समाप्त हो रहा है, निर्वाचन के लिए मैं, दिनेश शर्मा, रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से समिति कक्ष क्रमांक-2, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन, रायपुर को ऐसे स्थान के रूप में नियत करता हूँ, जहाँ निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक - 318/सीएस-मल्टी/2/2022 (1), दिनांक 24 मई, 2022 के अनुसरण में उक्त निर्वाचन के लिए मतदान होगा.

हस्ता./-

(दिनेश शर्मा)  
रिटर्निंग ऑफिसर.

### BIENNIAL ELECTION TO THE COUNCIL OF STATES TO FILL TWO SEATES OF THE MEMBER ON THE RETIREMENT OF THE EXPIRATION OF THE TERM OF OFFICE

Raipur, Dated 24th May, 2022 (Jyaishtha 3, Shaka 1944)

### NOTIFICATION

No. - vidhan/R.S.Election/2022(2) - In pursuance of the provision of sub-section (1) of Section 29 of the Representation of the People Act, 1951 I, Dinesh Sharma, the Returning Officer for the election by the elected members of the Chhattisgarh Legislative Assembly to fill two seats in the Council of States, on the retirement of two members on 29<sup>th</sup> June, 2022, hereby fix, with the previous approval of the Election Commission the Committee Room No. 2, of Chhattisgarh Vidhan Sabha, Raipur as the place of poll at which a poll will be taken in pursuance of the Election Commission's Notification No.318/ CS-Multi/2/2022(1), dated the 24<sup>th</sup> May, 2022.

Sd/-

(Dinesh Sharma)  
Returning Officer